The Uttaranchal Commission for Minorities Act, 2002

Act 9 of 2002

Keyword(s):
Minority, Discrimination, Development of Minorities

Amendment appended: 9 of 2003, 3 of 2004

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–067 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डीएन0-30/02

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई0

ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 219/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002

देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 में दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 09, सन् 2002)

राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1 (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्प–संख्यक आयोग अधिनियम, 2002 कहा जायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा.

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा नियत करें.

परिभाषायें.

2. इस अधिनियम मे जब तक की संन्दर्भ से प्रतिकूल आशयित न हो:

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग से है.

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की सरकार से है.

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है, और इसमें आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित है.

(घ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में अधिसूचित किसी समुदाय से है.

अध्याय–दो
आयोग

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग का गठन

3. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करनें के लिये सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जायेगा.

(2) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और दो सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे. परन्तु अध्यक्ष सहित दो सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होगे.

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनें पद धारण करनें के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा.

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को सम्बोधित सहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी समय पर त्यागपत्र दे सकता है.

(3) सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति:–

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है.

(ख) किसी अपराध के लिये जिससें सरकार की राय में नैतिक अधमता अर्न्तग्रस्त हैं, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है.

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है.

(घ) कार्य करनें से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है.

(ड) आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित होता है.

(च) सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की किसी स्थिति का किसी प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिये हानिकारक हो गया है.

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में सुने जाने का युक्ति–युक्त अवसर न दें दिया गया हो.

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा.

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होगीं जैसी विहित की जायें.

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5. (1) सरकार इस विधेयक के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये एक सचिव एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो आवश्यक हो, व्यवस्था करेगी.

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाऐं.

वेतन और भत्ते का अनुदानों से दिया जाना

6 अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा–5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा–10 की उपधारा(1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायेगा.

रिक्तियों इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधि मान्य नहीं करेगी

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी

आयोग द्वारा प्रकिया विनियमित किया जाना

8. (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझें, अपनी बैठक करेगा.

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रकिया विनियमित करेगा.

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चिय सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किये जायेगें.

अध्याय–तीन
आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात–

(क) उत्तरांचल में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना;

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लियें रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना;

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना;

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना;

(ज) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जानें हेतु सुझाव देना; और,

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय.

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी.

(3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित हैं और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात:

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना.

(ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय.

अध्याय : चार
वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान

10. (1) सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी.

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा.

वार्षिक रिपोर्ट

11. (1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र तैयार करवायेगा जैसा सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय.

लेखा और लेखा परीक्षा

(2) लेखों के वार्षिक विवरण और बैलेन्स शीट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उनकी लेखा परीक्षा करवायेगी.

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रपत्र में, और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा.

13. सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र उनसे दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी.

अध्याय पांच
प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

14. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा.

शास्ति

15. जो कोई धारा–9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करेने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश के निवेश की अवज्ञा करे तो यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1960) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा.

अपराध का संज्ञान

16. कोई न्यायालय धारा 15 में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं.

नियम बनाने की शक्ति

17. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है.

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित, समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात

(क) धारा–4 की उपधारा–5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों और धारा–5 की उपधारा–(2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें;

(ख) धारा 9 की उपधारा–3 खण्ड (ख) के अधीन कोई अन्य मामला.

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायेगा.

(घ) प्रारूप जिसमें और समय जिस पर धारा 12 के अधीन लेखों का वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी.

(ड.) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाय.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो.

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा.

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23(क) की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगें जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं.

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 का निरसन

19. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 एतदृद्वारा, जहां तक उत्तरांचल राज्य में लागू होने का प्रश्न है इस अधिनियम की धारा–1 की उपधारा–3 के अधीन प्रवृत्त अधिसूचना की तिथि से निरसन लिया जाता है.

आज्ञा से,

(आर0 पी0 पाण्डेय)

सचिव।

अल्प संख्यक आयोग हेतु स्टाफ की आवश्यकता

पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3
1. सचिव आयोग (श्रेणी 2 का पद)	1	8000–13500
2. लेखाकार	1	5000–8000
3. वैयक्तिक सहायक आयोग के अध्यक्ष के लिये	1	5000–8000
4. वरिष्ठ लिपिक	1	4000–6000
5. कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	3050–4590
6. चालक (एक चालक अध्यक्ष तथा एक चालक सचिव के लिए)	2	3050–4590
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मी (एक चपरासी अध्यक्ष के लिये एक चपरासी दो अन्य सदस्यों के लिये एक चपरासी सचिव के लिये तथा एक चपरासी कार्यालय के लिये)	4	2550–3200

नोटः–सफाई व सुरक्षा की व्यवस्था संविदा पर की जायेगी।

अल्प संख्यक आयोग के लिए वित्तीय आवश्यकता

(धनराशि लाख में)

1	अध्यक्ष एवं अन्य दो सदस्यों के लिए एक मुश्त मानदेय रू. 15000 प्रतिमाह की दर से	5.40
2	आयोग के सचिव के वेतन भत्तों के लिए 8000–13500 के वेतनमान पर श्रेणी 2 का पद	1.44
3	लेखाकार, वेतनमान 5000–8000 पर देय वेतन भत्ते	0.90
4	अध्यक्ष के लिये वैयक्तिक सहायक वेतनमान 5000–8000 पर देय वेतन भत्ते	0.90
5	वरिष्ठ लिपिक वेतनमान 4000–6000 पर देय वेतन भत्ते	0.72
6	कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर वेतनमान 3050–4590	0.56
7	चालक वेतनमान 3050–4590	1.12
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतनमान 2550–3200	1.836
9	एक कार अध्यक्ष के लिए तथा एक डीजल जीप सचिव के लिए	8.00
10	कार्यालय भवन का किराया रू.10000 प्रति माह की दर से	1.20
11	कम्प्यूटर एक	1.00
12	फोटोस्टेट मशीन एक	1.00
13	टेलिफोन एक	0.50
14	फैक्स एक	0.20
15	फर्नीचर एवं साज सज्जा	2.00
16	कार्यालय लेखन सामग्री एवं आकस्मिक व्यय	1.00
17	यात्रा भत्ता	0.50
	योगः–	28.276

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Uttaranchal Commission for Minorities Bill, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2002) :

No. 219/Vidhayee and Sansadiya Karya/2002
Dated Dehradun, June 19, 2002

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on June 16, 2002.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR MINORITIES ACT, 2002

(Act No. 09 of 2002)

To constitute a Commission for minorities in Uttaranchal and to provide for matters connected therewith or incidental therein

AN
ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-Third Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I
Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttranchal Commission for Minorities Act 2002. — Short title, extent and commencement
(2) It shall extend to the whole of Uttranchal.
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, publish in this behalf.

2. In this Act unless a contrary intention appears from the context — Definitions.
(a) "Commission" means the Uttranchal Commission for Minorities constituted under section3;
(b) "Government" means Government of Uttaranchal;
(c) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman of the Commission;
(d) "Minority" for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Government.

CHAPTER-II
THE COMMISSION

3. (1) The Government shall constitute a body to be known as the Uttaranchal Commission for minorities to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act; — Constitution of the Uttaranchal Commission for Minorities

(2) The Commission shall consist of a Chairman and two Members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman;
Chairman shall be from amongst the minority Communities.

Term of office and conditions of service of Chairman and Members

4. (1) The Chairman and every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.

(2) The Chairman or a Member may, by writing under his hand addressed to the Government, resign from the office of the Chairman or, as the case may be, of the Member at any time.

(3) The Government shall remove a person from the office of the Chairman or a Member referred to in sub-section(2) if that person:-

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent Courts;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission absents from three consecution meeting of the Commission or;

(f) has, in the opinion of the Government, so abused the position of the Chairman or Member as to render that person's Continuance in office detrimental to the interests of minorities or the public interest;

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

(5) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

5.(1) The State Government shall provide the Commission with a secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of services of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grant

6. The salaries and allowances payable to the Chairman, Members and the administrative expenses, including salaries allowances and pension payable to the officers and other

employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub section(1) of section 10.

Vacancies etc. not to invalidate proceeding of the Commission.

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the Constitution of the Commission.

Procedure to be regulated

8.(1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.
(2) The Commission shall regulate its own procedure.
(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

CHAPTER-III

Functions of the Commission

Functions of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions namely:-
(a) evaluate the progress of the development of minorities in Uttaranchal;
(b) monitor the working of the safeguards in respect of minorities provided in the Constitution and in laws enacted by the State Legislature;
(c) make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the Government;
(d) look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with the appropriate authorities;
(e) cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;
(f) conduct studies, research and analysis on the issues relating to socio-economic and educational development of minorities;
(g) suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the Government;
(h) make periodical or special reports to the Government on any matter pertaining to minorities and in particular difficulties confronted by them; and
(i) any other matter which may be referred to it by the Government.
(2) The Government shall cause the recommendations referred to in clause(c) of sub-section(1) to be laid before the State Legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reason for the non-acceptance if any of such recommendations.

(3) The Commission shall, while performing any of the functions mentioned in clauses(a),(b) and(d) of sub-section(1) have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of any document;
(c) receiving evidence on affidavits;
(d) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
(e) issuing Commissions or the examination of witnesses and documents; and,
(f) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER-IV
Finance, Accounts and Audits

Grant by the Government

10. (1) The Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf pay to the Commission by way of grants such sums of money as the government may think fit for being utilized for the purpose of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section(1).

Accounts and audit

11. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Government by general or special order in this behalf.

(2) A copy of the annual statement of accounts and the balance sheet shall be submitted to the Government which shall cause the same to be audited.

Annual Report

12. The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

13. The Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained there in and the reason for the non-acceptance if any of such recommendations and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received before the State Legislature.

Annual Report and audit report to be laid before State Legislature

CHAPTER-V

Miscellaneous

14. The Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860.

Chairman, Members and Staff of the Commission to be public servant.

15. Whoever, being legally bound to obey any order or direction of the Commission under sub-section(3) of section 9, disobeys such order or direction shall be punishable under sections 174,175,176,178,179 or 180 of the Indian Penal Code, 1860(Act XLV of 1860) as the case may be.

Penalty

16. No Court shall take cognizance of the offences specified in section 15 except on the Complaint in writing of the Chairman or a Member or of an Officer of the Commission authorised in this behalf by the Commission.

Cognizance of Offences

17.(1) The Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters namely

(a) Salaries and allowances payable is and the other terms and conditions of service of the Chairman and Members under sub-section(5) of section 4 and of officers and other employees under sub-section(2) of section5;

(b) any other matter under clause(f) of sub-section (3) of section 9;

(c) the form in while the annual statement of accounts shall be maintained under sub-section(1) of section11;

(d) the form in and the time at which the annual report shall be prepared under section12;

(e) any other matter which is required to be; or may be prescribed.

Power to remove difficulties

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the Government may by a notified order make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section(1) shall be made after the expiration of the period of two years from the Commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section(1) shall be laid as soon as may be before the State Legislature and the provisions of sub-section(1) of section 23-A of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the Government under any Uttarnchal Act.

Repeal of U.P. Act No 22 of 1994

19. The Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 is hereby repealed in Uttaranchal after the publication under sub section (3) of section 1 of notification of this Act.

By Order,

(R. P. PANDEY)
Sachiv.

क्रम संख्या–091

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0
ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 181/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003, पर 16–04–2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 09, सन् 2003)

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में उत्तरांचल के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिए :–

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 3 (2) का संशोधन

मूल अधिनियम, की धारा 3 (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :–

2. "आयोग में प्रतिष्ठित, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और चार सदस्य, जिनमें एक महिला हो होंगे; परन्तु अध्यक्ष सहित चार सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होंगे।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Minority Commission (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2003) for general information :

No. 181/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL MINORITY COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT NO. 09 OF 2003)

AN
ACT

To further amend the Uttaranchal Minority Act, 2002 in it's application in Uttaranchal.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Minority Commission (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force at once.

Amendment of section 3 (2) of the Principal Act

In section 3(2) of the Minority Commission Act, 2002 (hereafter referred to as the Principal Act) the following section shall be substituted namely.

2. The Commission shall consist of a Chairman and Four members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman; provided that the Chairman and other Four members shall be from amongst the minority communities.

By Order,

BHAROSI LAL,
Sachiv.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 विधायी/141–2003–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

Requirement of Staff for the Minority Commission

Sl. No.	Designation	No. of Post	Pay Scale
1	2	3	4
1	Secretary of the Commission (Class II Post)	1	8000-13500
2	Accountant	1	5000-8000
3	Personal Assistance for Chairman of the Commission	1	5000-8000
4	Senior clerk	1	4000-6000
5	Junior clerk cum Computer operator	1	3050-4590
6	Driver (One for Chairman & One for Secretary)	2	3050-4590
7	Fourth class (One for Chairman, One for two other Members, One for Secretary and One for Office)	4	2550-3200

NOTE :– Arrangement of Sweeper and Security will be done on contact basis.

Financial requirement for Minority Commission

(Amount in Laks)

1	Lump-sum honorarium for Chairman and other two Members @ Rs. 15,000 per month	5.40
2	Pay and allowances for Secretary of the Commission at Pay scale of 8000-13500 for Class-II Post	1.44
3	Pay and allowances of Accountant at Pay scale 5000-8000	0.90
4	Pay and allowances of P. A. to chairman at the Pay scale of 5000-8000	0.90
5	Pay and allowances of Senior clerk at the Pay scale of 4000-6000	0.72
6	Pay and allowances of Junior clerk cum Computer operator at the Pay scale of 3050-4590	0.56
7	Pay and allowances of Driver at the Pay scale of 3050-4590	1.12
8	Fourth class employees at the Pay scale of 2550-3200	1.836
9	One Car for Chairman and One Diesel Jeep for Secretary	8.00
10	Rent of office Building @ 10,000 per month	1.20
11	Computer	1.00
12	Photostat Machine	1.00
13	Telephone	0.50
14	Fax Machine	0.20
15	Furniture and Furnishing	2.00
16	Office stationery and Contingency	1.00
17	Travelling allowance	0.50
	Total	**28.276**

पी०एस०यू० (आर०ई०) 4 विधायी/70–2002–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–55

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 28 फरवरी, 2004 ई0
फाल्गुन 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 47/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 28 फरवरी, 2004

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 23–02–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 03, सन् 2004 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 03, सन् 2004)

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में अग्रेतर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलाएगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :—

शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "तथा उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :—

आयोग में प्रतिष्ठित योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और नौ सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे, परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 14, 16, एवं 17 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 14, 16, एवं 17 में जहां-जहां शब्द "अध्यक्ष तथा सदस्य" आये हैं, वहां शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य" पढ़े जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4) एवं (5) का जोड़ा जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नवत् दो नई उपधाराएं (4) एवं (5) जोड़ दी जाएंगी :—

(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।

(5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 03 of 2004) for general information :

No. 47/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, February 28, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on February 27, 2004.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR MINORITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 03 OF 2004)

To further amend The Uttaranchal Commission for Minorities Act, 2002

AN

ACT

Short title, Extent & Commencement

BE IT enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Clause (c) of Section 2 of the Principal Act shall be amended as follows :— Amendment of clause (c) of Section 2 of the Principal Act

The words "and Vice Chairman" shall be added after the word "Chairman".

3. Sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act shall be substituted as follows :— Substitution of Sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act

The Commission shall consist of a Chairman, a Vice Chairman and nine members nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman, provided that the Chairman, Vice Chairman and members shall be from amongst the minority communities.

4. Wherever the words "Chairman and Members" occur in Section 4, 6, 14, 16 & 17 of the Principal Act, shall be read as "Chairman, Vice Chairman and Members." Amendment of Section 4, 6, 14, 16 & 17 of the Principal Act

5. After Sub-section (3) of Section 8 of the Principal Act, two new Sub-sections (4) & (5) shall be added as follows :-- Addition of two new Sub- section (4) & (5) after Sub-section (3) of Section 8 of the Principal Act

(4) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice Chairman.

(5) If the offices of both Chairman and Vice Chairman become vacant, the duties of the office of Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order, direct.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 20 विधायी / 130—2004—500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।